मुख्यालय :–
सेतु भवन, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग,
लखनऊ – 226001
फोन : 0522–2205815, 2205807
फैक्स : 0522 – 2209798

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सेतु निर्माण इकाई,
आवास सं0–6, सेतु निगम कालोनी
सिविल हॉस्पिटल के सामने
निकट घास मण्डी, बाजोरिया रोड
सहारनपुर–247001 (उ0प्र0)
E-mail :-upsbclsre@gmail.com
GSTIN NO. 09AAACU3258KSZA

पत्रांक– 1851/4 BR /स0पुर/2025–26 दिनांक: 27/10/2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर द्वारा ग्राम–कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड, (एस0एच0–12ए) के किमी0 15 से 16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UP/ROAD/35985/2018)

संदर्भः– 1. आपका पत्रांक 1207/11–सी, लखनऊ, दिनांक 15.10.2025
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1702/11–सी–FP/UP/ROAD/35985/2018, लखनऊ दिनांक 15.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0 दिनांक 29.11.2019 द्वारा विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गयी है। वन संरक्षक एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत भारत सरकार के ऑनलाईन परिवेश 1.0 पोर्टल पर विधिवत स्वीकृति (Stage-II) की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पुनः अपलोड किया जा रहा है।

**संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।**

(सत्येन्द्र सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

**प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. महा प्रबन्धक (नियोजन), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
2. महा प्रबन्धक (गा0बाद), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, गाजियाबाद।
3. स्टाफ आफिसर–प्रबन्ध निदेशक को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।

परियोजना प्रबन्धक

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1702 / 11–सी– FP/UP/ROAD/35985/2018, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 15 ,2021

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर द्वारा ग्राम–कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड, (एस0एच0–12ए) के कि0मी0 15 से 16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UP/ROAD/35985/2018

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी0 / यू0पी0 / 06 / 97 / 2019 / एफ0सी0 / 574, दिनांक–03.03.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना / अभिलेख वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक–3152 / 14–10, दि0 07.01.2021 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 13.01.2021 को उपलब्ध कराया गया है।

अतः वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये वॉछित सूचना / अभिलेख एक प्रति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1702 / 11–सी– FP/UP/ROAD/35985/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4– परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम इकाई, सहारनपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

**कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर**

**पत्रांक 3152/14–10(35985/2018) सहारनपुर, दिनांक 07 जनवरी 2021**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम, सहारनपुर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड़ (एन0एच0–12ए) के कि0मी0 15 से 16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में, ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018.

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्रांक 8वी/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/574 दिनांक 03.03.2020, आपका पृष्ठांकन पत्रांक 1788/11सी–FP/UP/Road/35985/2018 दिनांक 04.03.2020 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 2064/14–1 दिनांक 05.01.2021

महोदय,

विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/97/2019/ एफ0सी0/432 दिनांक 29.11.2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा, सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2019 की शर्त संख्या–3 के क्रम में लगाई गई आपत्ति का अनुपालन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :–

| Sl.No. | Observation Raised by GOI | Compliances |
|---|---|---|
| 1 | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3, के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल, हस्तिनापुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अन्तर्गत है। अतः वृक्षारोपण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा। वृक्षों की प्रजाति का चुनाव वन्य प्राणी प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा। सम्बन्धित सूचना भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) को समर्पित की जायेगी। सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को समर्पित किये जाने की अनुपालना अपूर्ण है। सम्बन्धित अपेक्षित सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। | प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित किये गये स्थल पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन निर्गत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1813/14–10(35985) दिनांक 09.12.2020 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ से अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1384/28–11 दिनांक 29.12.2020 द्वारा वृक्षारोपण कार्य एवं स्थल का अनुमोदन किया गया है। **(छाया प्रति संलग्न)।** |

अतः विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार स्तर से लगाई गयी आपत्ति का अनुपालन उक्तानुसार, इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक–**उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(एन0के0जानू)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त,सहारनपुर

**पत्रांक 3152/14–10( 35985/2018) दिनांकित।**

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर को उक्त संदर्भित क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0के0जानू)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त,सहारनपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक 2064 / 14–1 दिनांक, मुजफ्फरनगर 05/01/ 2021 ।

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड (एन0एच–12ए) के कि0मी0 15 से 16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या – **FP/UP/Road/ 35985/2018**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्रांक–8 बी0 / यू0पी0 / 06 / 97 / 2019 / एफ0सी0 / 574 दिनांक–03.03.2020 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–1384 / 26–11 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण / हस्तिनापुर) दिनांक–29.12.2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्रांक–8 बी0 / यू0पी0 / 06 / 97 / 2019 / एफ0सी0 / 574 दिनांक–03.03.2020 क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–1384 / 26–11 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण / हस्तिनापुर) दिनांक–29.12.2020 दिनांक–29.12.2020 द्वारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत रोपण हेतु तकनीकी स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त हो गया है। जिसके अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक–29.11.2019 की शर्त संख्या–3 के क्रम में लगायी गयी आपत्ति का अनुपालन निम्नवत् प्रेषित है–

| क्र0सं0 | लगाई गयी आपत्ति | निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3, के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल हस्तिनापुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अन्तर्गत है। अतः वृक्षारोपण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा। वृक्षें की प्रजाति का चुनाव वन्य प्राणी प्रबन्धंन को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। वृक्षों की प्रजाति का चुनाव वन्य प्राणी प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित सूचना भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) को समर्पित की जायेगी। सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को समर्पित की जायेगी। सम्बन्धित समर्पित किये जाने की अनुपालन अपूर्ण है। सम्बन्धित अपेक्षित सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीं। | प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित किये गये स्थल पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति / अनुमोदन निर्गत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक– 1683/14–1 दिनांक– 05.12.2020 द्वारा वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनुपर से अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–1384 /26–11 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण / हस्तिनापुर) दिनांक– 29.12.2020 द्वारा वृक्षारोपण कार्य एवं स्थल का अनुमोदन किया गया है। **(छाया प्रति संलग्न)** |

अतः विषयांकित भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार स्तर से लगायी गयी आपत्ति का अनुपालन इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

524 D:\FOREST-1\Surendra\Survey Branch\Land Transfar (Proposal)\Land Transfar 2017-18.doc

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्या–1384 / 26–11(क्षतिपूरक वृक्षारोपण/हस्तिनापुर) लखनऊः दिनांकः दिसम्बरः 29 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम, सहारनुपर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल के सम्पर्क मार्ग हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड (एस0एच0–12ए) के कि0मी0 15–16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2019 की शर्त संख्या–3 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित स्थल हस्तिनापुर वन्य जीव क्षेत्रान्तर्गत होने के फलस्वरूप 310 पौधे के रोपण हेतु मुख्य प्राणी प्रतिपालक/सक्षम स्तर से तमनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्रांक–1813/14–10 (35985) दिनांक 09.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित वृक्षारोपण के दरों का आगणन वृत्त/प्रभाग के Shedule of Rate के आधार पर अपने स्तर से करने कष्ट करें। अतः इस सम्बन्ध में आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि वन्य जीवों हेतु ग्रास वृक्षारोपण भी करना सुनिश्चित करें। वृक्षारोपण कार्य की मात्रा एवं स्थल का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Dfom
8/1/2021

भवदीय

(सुनील पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्र संख्या– / उक्त दिनांकित।

**प्रतिलिपि**–मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनील पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

D:\Deta year-2020\Letter-2020-21.docx Ramesh

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्या– 1385 / 26–11(क्षतिपूरक वृक्षारोपण/हस्तिनापुर) लखनऊः दिनांकः दिसम्बरः 29 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम, सहारनुपर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल के सम्पर्क मार्ग हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड (एस0एच0–12ए) के कि0मी0 15–16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2019 की शर्त संख्या–3 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित स्थल हस्तिनापुर वन्य जीव क्षेत्रान्तर्गत होने के फलस्वरूप 310 पौधे के रोपण हेतु मुख्य प्राणी प्रतिपालक/सक्षम स्तर से तमनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्रांक–1813/14–10 (35985) दिनांक 09.12.2020

महोदय,

D.M
9
30.12.2020

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित वृक्षारोपण के दरों का आगणन वृत्त/प्रभाग के Shedule of Rate के आधार पर अपने स्तर से करने कष्ट करें। अतः इस सम्बन्ध में आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि वन्य जीवों हेतु ग्रास वृक्षारोपण भी करना सुनिश्चित करें। वृक्षारोपण कार्य की मात्रा एवं स्थल का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

भवदीय

(सुनील पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्र संख्या- 1385 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर
पत्रांक 3025/14-10 दि० 31/12/2020

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा० वा० प्रभाग मु० नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनील पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

D:\Deta year-2020\Letter-2020-21.docx Ramesh

अग्रप्रेषित

(सुरेश चन्द्र पाण्डे)
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक
सहारनपुर वृत्त
सहारनपुर

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त
सहारनपुर

# कार्यालय प्रभागीय सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर

पत्रांक 1683/14–1(कवाल) सहारनपुर, दिनांक 05/12/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम, सहारनपुर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल के सम्पर्क मार्ग हेतु मजफ्फरनगर– जानसठ रोड़ (एस0एच0–12ए) के कि0मी0 15–16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2019 की शर्त संख्या–3 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित स्थल हस्तिनापुर वन्य जीव क्षेत्रान्तर्गत होने के फलस्वरूप 310 पौधों के रोपण हेतु मुख्य प्राणी प्रतिपालक/सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 08बी/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/574 दिनांक 03.03.2020 तथा नोडल अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1788/11सी–FP/UP/Road/35985/2018 Dt.4-03-2020

महोदय,

विषयांकित क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम, सहारनपुर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड़ (एस0एच0–12ए) के कि0मी0 15–16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य के पत्रांक 08बी/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432 दिनांक 29.11.2019 द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गई, **(संलग्नक–1)**। उक्त सैद्धान्तिक अनुमति की शर्त संख्या–3 जो इस प्रकार है, " क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि हस्तिनापुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अन्तर्गत है। अतः वृक्षारापेण मुख्य प्राणी प्रतिपालक/सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा वृक्षों की प्रजाति का चुनाव वन्य प्राणी प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा। सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को समर्पित की जायेगी।" उक्त शर्त के अनुपालन में भारत सरकार को प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया कि, वर्तमान में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की प्रबन्ध योजना का संकलन कार्य प्रचलन में है। जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का प्रबन्धन, प्रभागीय निदेशक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकार, वन अनुभाग–4 की पत्र संख्या 26851/14–4–93 दिनांक 18.10.1993 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों एवं प्रभागीय निदेशकों को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया गया है। इस प्रकार प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर, जनपद मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के अन्तर्गत क्षतिपूरक रोपण कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी हैं। अतः प्रकरण में उच्च स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

उक्त क्रम में भारत सरकर, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03.03.2020 **(संलग्नक–2)** द्वारा निदेर्शित किया गया है कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के क्षेत्रान्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करते हुये सूचना उपलब्ध करायी जाये।

अतः उक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 29.11.2019 की शत संख्या–2 के अनुसार प्रभावित वन भूमि के (0.31X1000)310 वृक्षों का रोपण, एवं 10 वर्षो तक वृक्षारोपण रखरखाव हेतु कैलापुर वन ब्लाक (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र) में, किये जाने हेतु परियोजना निरूपित की गयी है जिसमें रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति का चुनाव वन्य प्राणी प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुये किया गया है। उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण से वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास पर सकारात्मक प्रभाव

Shi Letter 2

पड़ेगे। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित परियोजना संस्तुति सहित, इस अनुरोध से प्रेषित है कि परियोजना का अनुमोदन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) के स्तर से कराने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक– /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर

पत्रांक 1813 / 14–10(35985) सहारनपुर 09 दिसम्बर 2020

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उ0प्र0, लखनऊ

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम, सहारनपुर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल के सम्पर्क मार्ग हेतु मजफ्फरनगर–जानसठ रोड़ (एस0एच0–12ए) के कि0मी0 15–16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2019 की शर्त संख्या–3 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित स्थल हस्तिनापुर वन्य जीव क्षेत्रान्तर्गत होने के फलस्वरूप 310 पौधों के रोपण हेतु मुख्य प्राणी प्रतिपालक / सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति / अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 08बी / यू0पी0 / 06 / 97 / 2019 / एफ0सी0 / 574 दिनांक 03.03.2020 तथा नोडल अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1788 / 11सी–FP/UP/Road/35985/2018 Dt.4-03-2020 एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 1683 / 14–1(कवाल) दि0 05.12.2020

महोदय,

विषयांकित क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम, सहारनपुर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड़ (एस0एच0–12ए) के कि0मी0 15–16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य के पत्रांक 08बी / यू0पी0 / 06 / 97 / 2019 / एफ0सी0 / 432 दिनांक 29.11.2019 द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गई, **(संलग्नक–1)**। उक्त सैद्धान्तिक अनुमति की शर्त संख्या–3 जो इस प्रकार है, "क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि हस्तिनापुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अन्तर्गत है। अतः वृक्षारापेण मुख्य प्राणी प्रतिपालक / सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा वृक्षों की प्रजाति का चुनाव, वन्य प्राणी प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा। सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को समर्पित की जायेगी।" उक्त सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 29.11.2019 के शर्तो की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1556 / 11–सी– FP/UP/Road/35985 दिनांक 03.2. 2020 द्वारा भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य को प्रेषित की गयी, जिसमें शर्त संख्या 3 के क्रम में उल्लेख किया गया कि, वर्तमान में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की प्रबन्ध योजना का संकलन कार्य प्रचलन में है। जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का प्रबन्धन, प्रभागीय निदेशक / उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकार, वन अनुभाग–4 की पत्र संख्या 26851 / 14–4–93 दिनांक 18.10.1993 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों एवं प्रभागीय निदेशकों को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया गया है। इस प्रकार प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर, जनपद मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के अन्तर्गत क्षतिपूरक रोपण कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी हैं। अतः प्रकरण में उच्च स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

उक्त क्रम में भारत सरकर, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03.03.2020 **(संलग्नक–2)** द्वारा निर्देशित किया गया है कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के क्षेत्रान्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त करते हुये सूचना उपलब्ध करायी जाये। उक्त क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 1683 / 14–1(कवाल) दि0 05.12.2020 **(संलग्नक–3)** द्वारा उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित परियोजना संस्तुति सहित, तकनीकी स्वीकृति / अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 29.11.2019 की शर्त संख्या–2 के अनुसार प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष (0.31X1000) 310 वृक्षों का रोपण, एवं 10 वर्षो तक वृक्षरोपण रखरखाव का प्राविधान आलोच्य परियोजना में किया गया है, उक्त परियोजना से सम्बन्धित स्थल कैलापुर वन ब्लाक (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है, आलोच्य परियोजना में रोपण हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजाति का चुनाव वन्य प्राणी प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास पर पड़ेगा।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित परियोजना प्रतिहस्ताक्षरित करते हुये संस्तुति सहित, 03 प्रतियों में **(संलग्नक–4)** इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परियोजना का अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0जानू)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक–1813/14–10(35985) दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त संदर्भित क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0के0जानू)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर

जनपद मुजफ्फरनगर में उ0प्र0 सेतु निर्माण इकाई, सहारनपुर द्वारा मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग (एस0एच0–12ए, कि0मी0 15 व 16) के निकट, ग्राम कवाल, ऊपरी गंगानहर पर पुल निर्माण एवं उसके सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग के कम में **0.31ha.x10=310** पौधों के रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव की परियोजना।

प्रभाग का नाम – सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।

स्थल का नाम– कैलापुर वन ब्लाक (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र)

रेंज का नाम– जानसठ, रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या–310पौध, क्षे0फ0– 0.62हे0

रोपित की जाने वाली प्रजाति– वन्य जीव प्रबन्धन हेतु उपयुक्त प्रजातियां, यथा, आवंला, बेर, जामुन, जमोया, अमरूद, कचनार, अर्जुन, गुटेल, शीशम, खैर आदि।

| क0स0 | कार्य मद | इकाई | मात्रा | दर | धनराशि | अनु0दर मद संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **प्रथम चारण –अग्रिम मृदा कार्य** | | | | | |
| 1 | क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य कराना | प्रति हे0 | 0.62 | 96 | 59.52 | वन 1.1 |
| 2 | क्षेत्र की झाड़ियों को काटकर क्षेत्र से बाहर एवं एकत्रित कर जलाना (अत्याधिक झाड़ियां) | प्रति हे0 | 0.62 | 3975 | 2464.5 | वन 2.4.3 |
| 3 | गढ्ढों का रेखांकन | प्रति ग0 | 310 | 0.4 | 124 | वन 3.2 |
| 4 | सुरक्षा खाई का रेखंकन कार्य कराना | प्रति मी0 | 715 | 0.45 | 321.75 | वन 3.4 |
| 5 | गढ्ढों का खुदान सामान्य मिट्टी (साइज 0.60x0.60x0.60मी0) | प्रति ग0 | 310 | 19.07 | 5911.7 | वन 4.11.1 |
| 6 | सुरक्षा खाई का खुदान सामान्य मिट्टी (साइज 1.20x1.0x0.90मी0) | प्र0मी0 | 715 | 52 | 37180 | वन 4.1.1 |
| 7 | वृक्षरोपण बोर्ड | प्रति | 1 | 5000 | 5000 | अनुमानित |
| 8 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 8592 | |
| | योग | | | | 59653.47 | |
| 10 | आगामी वर्षो में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 5965.347 | |
| | **योग** | | | | **65618.817** | |
| | **द्वितीय चरण– वृक्षारोपण** | | | | | |
| 1 | गढ्ढों का भरान (साइज 0.60x0.60x0.60मी0) | प्रति | 310 | 1.25 | 387.5 | वन 5.1.2 |
| 2 | सुरक्षा खाई की ड्रेसिंग, दो लाइनों में बीज बुआन सहित | प्रति मी0 | 715 | 7.61 | 5441.15 | वन 6.1.3 |
| 3 | पौधों का ढुलान कार्य, 3 प्रतिशत अतिरिक्त (एच0डी0पी0ई0 बैग, ढुलान की दूरी 21 से 30 कि0मी0) | प्रति पौ0 | 320 | 22.1 | 7072 | वन 9.4 |
| 4 | पौधारोपण कार्य मय तुरन्त सिंचाई व थावला बनाने सहित | प्रति पौ0 | 310 | 9 | 2790 | वन 10.1.3 |
| 5 | पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार | प्रति | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 6 | थावला वनाना व मिट्टी चढ़ाना 2 बार | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 7 | पौधों का सिंचाई कार्य 10 बार (310x10=3100) | प्र0पौ0 | 3100 | 1.15 | 3565 | वन 14.1.6 |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई कार्य 03 बार(0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 9 | पौधों का मूल्य, 03 प्रतिशत अतिरिक्त सहित | प्रति पौ0 | 320 | 80 | 25600 | अनुमानित |
| 10 | बीज का मूल्य/एकत्रीकरण | प्रति कि0 | 2 | 100 | 200 | अनुमानित |
| 11 | अन्य आकस्मिक व्यय/उर्वरक आदि | ल0स0 | | | 7000 | अनुमानित |
| | योग | | | | 60035.05 | |
| | आगामी वर्षों में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 6003.505 | |
| | योग | | | | 66038.555 | |
| | **तृतीय चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम वर्ष** | | | | | |
| 1 | असफल गड्ढों की मिट्टी ढीली कराना | प्रति पौ0 | 31 | 3.7 | 114.70 | वन 18.1 |
| 2 | पौधों का ढुलान दूरी 31 से 40 कि0मी0 तक 3% अति0 | प्रति पौ0 | 32 | 23.2 | 742.40 | वन 9.4 |
| 3 | पौधों का मूल्य, 03 प्रतिशत अतिरिक्त सहित | प्रति पौ0 | 32 | 80 | 2560 | अनुमानित |
| 4 | पौधों का रोपण | प्रति पौ0 | 31 | 9 | 279.00 | वन 18.2.3 |
| 5 | पौधों की निराई गुडाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 6 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 7 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |
| 8 | पौधों की पुर्निंग करना (एक वर्षीय) | प्रति पौ0 | 300 | 3.15 | 945.00 | वन 15 |
| 9 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 10 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 4107.80 | |
| | योग | | | | 17020.30 | |
| | आगामी वर्षों में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1702.03 | |
| | योग | | | | 18722.33 | |
| | **चतुर्थ चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष** | | | | | |
| 1 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |
| 2 | पौधों की निराई गुडाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 3 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 4 | पौधों की पुर्निंग करना (द्वि वर्षीय) | प्रति पौ0 | 150 | 4.7 | 705.00 | वन 15.2 |
| 5 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 600.00 | |
| | योग | | | | 12136.40 | |
| | आगामी वर्षों में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1213.64 | |
| | योग | | | | 13350.04 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|

पंचम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय वर्ष

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |
| 2 | पौधों की निराई गड़ाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 3 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 4 | पौधों की पुर्निग करना (द्वि वर्षीय) | प्रति पौ0 | 150 | 4.7 | 705.00 | वन 15.2 |
| 5 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1:86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 600.00 | |
| | योग | | | | 12136.40 | |
| | आगामी वर्षो में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1213.64 | |
| | योग | | | | **13350.04** | |

षष्ठम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |
| 2 | पौधों की निराई गड़ाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 3 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 4 | पौधों की पुर्निग करना (द्वि वर्षीय) | प्रति पौ0 | 150 | 4.7 | 705.00 | वन 15.2 |
| 5 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 600.00 | |
| | योग | | | | 12136.40 | |
| | आगामी वर्षो में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1213.64 | |
| | योग | | | | **13350.04** | |

सप्तम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम वर्ष

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |
| 2 | पौधों की निराई गड़ाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 3 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 4 | पौधों की पुर्निग करना (द्वि वर्षीय) | प्रति पौ0 | 150 | 4.7 | 705.00 | वन 15.2 |
| 5 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 600.00 | |
| | योग | | | | 12136.40 | |
| | आगामी वर्षो में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1213.64 | |
| | योग | | | | **13350.04** | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **अष्ठम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण षष्ठम वर्ष** | | | | | |
| 1 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |
| 2 | पौधों की निराई गड़ाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 3 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 4 | पौधों की पुर्निग करना (द्वि वर्षीय) | प्रति पौ0 | 150 | 4.7 | 705.00 | वन 15.2 |
| 5 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 600.00 | |
| | योग | | | | 12136.40 | |
| | आगामी वर्षो में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1213.64 | |
| | योग | | | | **13350.04** | |
| | **नवम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम वर्ष** | | | | | |
| 1 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |
| 2 | पौधों की निराई गड़ाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 3 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 4 | पौधों की पुर्निग करना (द्वि वर्षीय) | प्रति पौ0 | 150 | 4.7 | 705.00 | वन 15.2 |
| 5 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 600.00 | |
| | योग | | | | 12136.40 | |
| | आगामी वर्षो में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1213.64 | |
| | योग | | | | **13350.04** | |
| | **दशम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्ठम वर्ष** | | | | | |
| 1 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |
| 2 | पौधों की निराई गड़ाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 3 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 4 | पौधों की पुर्निग करना (द्वि वर्षीय) | प्रति पौ0 | 150 | 4.7 | 705.00 | वन 15.2 |
| 5 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 600.00 | |
| | योग | | | | 12136.40 | |
| | आगामी वर्षो में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1213.64 | |
| | योग | | | | **13350.04** | |
| | **एकादश चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण नवम् वर्ष** | | | | | |
| 1 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | पौधों की निराई गड़ाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 3 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 4 | पौधों की पुर्निग करना (द्वि वर्षीय) | प्रति पौ0 | 150 | 4.7 | 705.00 | वन 15.2 |
| 5 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 600.00 | |
| | योग | | | | 12136.40 | |
| | आगामी वर्षो में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1213.64 | |
| | **योग** | | | | **13350.04** | |

**द्वादश चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण दशम् वर्ष**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पौधों की सिंचाई 8बार (310x8=2480) | प्रति पौ0 | 2480 | 1.15 | 2852 | वन 14.1.6 |
| 2 | पौधों की निराई गड़ाई 3बार (310x3=930) | प्रति पौ0 | 930 | 1.4 | 1302 | वन 11.1.1 |
| 3 | पौधों की थावला बन्दी 2बार (310x2=620) | प्रति पौ0 | 620 | 0.9 | 558 | वन 12 |
| 4 | पौधों की पुर्निग करना (द्वि वर्षीय) | प्रति पौ0 | 150 | 4.7 | 705.00 | वन 15.2 |
| 5 | वृक्षारोपण की अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 03 बार (0.62x3=1.86ha.) | प्रति हे0 | 1.86 | 3290 | 6119.4 | वन 16 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | ल0स0 | | | 600.00 | |
| | योग | | | | 12136.40 | |
| | आगामी वर्षो में सम्भावित दर वृद्धि 10 प्रतिशत | | | | 1213.64 | |
| | **योग** | | | | **13350.04** | |

**व्यय का वर्षवार सारांश**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम चारण –अग्रिम मृदा कार्य | | | | 65618.82 | |
| 2 | द्वितीय चरण– वृक्षारोपण | | | | 66038.56 | |
| 3 | तृतीय चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम वर्ष | | | | 18722.33 | |
| 4 | चतुर्थ चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष | | | | 13350.04 | |
| 5 | पंचम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय वर्ष | | | | 13350.04 | |
| 6 | षष्टम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष | | | | 13350.04 | |
| 7 | सप्तम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम वर्ष | | | | 13350.04 | |
| 8 | अष्ठम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण षष्ठम वर्ष | | | | 13350.04 | |
| 9 | नवम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम वर्ष | | | | 13350.04 | |
| 10 | दशम चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्ठम वर्ष | | | | 13350.04 | |
| 11 | एकादश चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण नवम् वर्ष | | | | 13350.04 | |
| 12 | द्वादश चरण–वृक्षारोपण अनुरक्षण दशम् वर्ष | | | | 13350.04 | |
| | योग | | | | 270530.06 | |
| | या | | | | **270530.00** | |

प्रतिहस्ताक्षरित

वन ... क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त
सहारनपुर

(2023)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

अनुस्मारक

कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर

पत्रांक 1693/14–10(35985) सहारनपुर दिनांक 01/12/ 2020

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल के सम्पर्क मार्ग हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड़ (एस0एच0 12ए) के कि0मी0 15 से 16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/574 दिनांक 03.03.2020 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1788/11सी–FP/UP/Road/35985/2018 दिनांक 4.03.2020, इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक 1511/14–1 दिनांक 10.11.2020

महोदय,

भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा निर्देशित किया गया था कि, प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2019 की शर्त संख्या–3 के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल, हस्तिनापुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अन्तर्गत है। अतः वृक्षारोपण, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा। वृक्षों की प्रजाति का चुनाव वन्य प्राणी प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा, सम्बन्धित सूचना भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य, को समर्पित की जायेगी।

उक्त निर्देशों के क्रम में अनुपालन आख्या आप द्वारा अभी तक प्रेषित नहीं की गयी है। प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित स्थल, कैलापुर वन ब्लाक में 310 पौधों के रोपण से सम्बन्धित परियोजना हेतु, उक्तानुसार वांछित तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से प्राप्त करते हुये, उक्त कम में वांछित अनुपालन आख्या तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एन0के0जानू)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर

अग्रप्रेषित

(सुरेश चन्द्र पाण्डे)
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक
सहारनपुर वृत्त
सहारनपुर

O/C

Bridge Corporation

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
...an, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2334047, 2324035
Email: (Env.) ro_envlko@rediffmail.com, (Forest) [illegible]@gmail.com

8बी/उ.प्र./97/2019/एफ.सी/574 दिनांक 03.03.2020

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी(वन संरक्षण),
वन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/35985/2018)

मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर द्वारा ग्राम-कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल एवं सम्पर्क मार्ग हेतु मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड (एस०एच०-12?) के कि०मी० 15 से 16 के 1.31 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 नग पेड़ वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-1556/11-सी-FP/UP/Road/35985/2018 लखनऊ, दिनांक-03.02.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-914/11-सी-FP/UP/Road/35985/2018, दिनांक-10.11.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। [illegible] दिनांक-20.11.2019 द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। [illegible] मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गई [illegible] आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त [illegible] [illegible] अन्तर्गत है। [illegible] [illegible] स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाएगा [illegible] [illegible] किया जाएगा। वांछित सूचना इस कार्यालय को समर्पित [illegible] अपूर्ण है। सम्बन्धित अपेक्षित सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरान्त ही आगे [illegible] निश्चित की जा सकेगी।

भवदीय,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. [illegible], उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ।
2. [illegible] निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
3. [illegible] प्रबन्धक, सेतु निगम इकाई, सहारनपुर।
4. [illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश

03/03/2020
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

Email

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-1788 /11सी-FP/UP/ROAD/35985/2018, दिनांक, लखनऊ, मार्च 04, 2020

1- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम इकाई, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/3
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर.
पत्रांक 1511/14-1 दि० 10/11/2020
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त
सहारनपुर

e No.1244

OC

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 1556/11–सी– FP/UP/ROAD/35985/2018, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 03 ,2020

सेवा में,

अतिरिक्त वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0–एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर द्वारा ग्राम–कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड, (एस0एच0–12ए) के कि0मी0 15 से 16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UP/ROAD/35985/2018

सन्दर्भः भारत सरकार की पत्र सं0–8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0 432 दिनांक 29.11.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक–2674/14–10 दिनांक 28.01.2020 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 03.02.2020 को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित एक प्रति में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1556/11–सी– FP/UP/ROAD/35985/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4– परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम इकाई, सहारनपुर।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

## कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

पत्रांक 2674 /14–10(35985) सहारनपुर, दिनांक 28/01/2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर द्वारा ग्राम कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड़(एस0एच012ए) के कि0मी0 15 से 16 के किनारे 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432 दिनांक 29.11.2019 ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018

महोदय,

विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के कम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.11.2019 द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है, जिसके कम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 2584/14–10दिनांक 17.01.2020 द्वारा उक्त सैद्धान्तिक अनुमति की शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है, जिसके कम में अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :–

| con.No. | Condition | Status of Compliance |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | वन भूमि की वैधानिक स्थित में कोई परिवर्तन नहीं होगा। | प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि की वैधानिक स्थित में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उक्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। **(संलग्नक–1)** |
| 2 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के (0.31X1000) 310 वृक्षों का रोपण, एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित ) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष (0.31X1000) 310 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 270530.00(रू0 दो लाख सत्तर हजार, पांच सौ तीस मात्र ) ई– पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है। |
| 3 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि हस्तिनापुर वन्य प्राणि अभ्यारण्य के अन्तर्गत है। अतः वृक्षारोपण मुख्य वन्य जीव प्राणि प्रतिपालक /सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा वृक्षों की प्रजाति का चुनाव वन्य प्राणी प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा। सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को समर्पित की जायेगी। | वर्तमान में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की प्रबन्ध योजना का संकलन कार्य प्रचलन में है। जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का प्रबन्धन प्रभागीय निदेशक /उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर द्वारा किया जाता है, उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकार वन अनुभाग–4 की पत्र संख्या 26851/14–4–93 दिनांक 18.10.1993 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों एवं प्रभागीय निदेशकों को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया गया है। इस प्रकार प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर, जनपद मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के अन्तर्गत क्षतिपूरक रोपण कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी है। अतः प्रकरण में उच्च स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। **(संलग्नक–2)** |
| 4(क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 194060.00 (एक लाख चौरानब्बे हजार साठ मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है। |
| (ख) | इसके उपरान्त जमा की गई धनराशि की ऑन लाइन ई– रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ( जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई गयी क्षतिपपूरक वनीकरण की धनराशि रू0 270530.00 एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 194060.00 जमा कराये जाने का विवरण सहित ई–रसीद संलग्न है। **(संलग्नक–3)** |

| | | |
|---|---|---|
| | विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो ) प्रेषित की जाये तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। | |
| (ग) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा ) प्रस्तुत करेंगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत किया गया है, कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। **(संलग्नक–4)** |
| 5 | विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा, और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) और पीछे (Backward ) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा, अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) और पीछे (Backward ) उनकी दिशा (Bearing) लिखी जायेगी। **(संलग्नक–5)** |
| 6 | भू–क्षरण एवं जलभराव को रोकने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कार्यवाही की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि भू–क्षरण एवं जलभराव को रोकने के लिये परियोजना व्यय पर समुचित कार्यवाही की जायेगी। **(संलग्नक–6)** |
| 7 | पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावर्णीय अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, प्राप्त की जायेगी। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र जिसे प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है **(संलग्नक–7)** |
| 8 | प्रकरण में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति देने के लिये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या– 11–306 / 2014–एफ0सी0(pt) दिनांक 28.8. 2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग मुजफ्फरनगर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया है। **(संलग्नक–8)** |
| 9 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक मक डिस्पोजल, परियोजना व्यय पर किया जायेगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।**(संलग्नक–9)** |
| 10 | प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित स्थल पर बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। **(संलग्नक–10)** |
| 11 | आवागमन एवं परियोजना के लिये सामाग्री ले जाने के लिये प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नये मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आवागमन एवं परियोजना के लिये सामाग्री ले जाने के लिये प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नये मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा, उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। **(संलग्नक–11)** |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। **(संलग्नक–12)** |
| 13 | इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत करते हुये प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें। | शर्त के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–13)** |
| 14 | सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है। |

(विभिन्न मदों से सम्बन्धित धनराशि जमा कराये जाने संबंधी सूचना) प्रपत्र

| क0संख्या | मद का नाम | धनराशि (रू0 में) |
|---|---|---|
| 1 | C.A. Amount as per proposal | 270530.00 |
| 2 | C.A. Amount deposite | 270530.00 |
| 3 | Difference in amount | 0 |
| 4 | Reson for difference | N.A. |
| 5 | NPV amount as per proposal | 194060.00 |
| 6 | NPV amount as deposited | 194060.00 |
| 7 | Difference in amount | 0 |
| 8 | Reson for difference | N.A. |
| 9 | Any other amount deposited (complete details be provided) | Nil |
| 10 | CAMPA confirmation | ई– पेमेन्ट रसीद संलग्न है। (संलग्नक–03 |

अतः विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिये गये वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये गये है एवं अन्य अभिलेख **03–03** प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

**संलग्नक– उपरोक्तानुसर।**

भवदीय,

**( वी0 के0 जैन)**
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 2674/ 14–10(35985) दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम इकाई, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**( वी0 के0 जैन)**
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक :– 2584 / 14-1 मुजफ्फरनगर दिनांक, 17-01- 2020।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुज़फ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर ग्राम–कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड (एस0एच0–12ए ) के कि0मी0 15 से 16 के किनारे 0.31 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक– 8बी0/यू0पी0/06/97/2019 /एफ0सी0/432 दिनांक– 29.11.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–11सी–1112/11सी–FP/UP/Road /35985/2018 दिनांक 04.12.2019 ।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 29.11.2019 का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त पत्र के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम– कवाल में अपर गंगा कैनाल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड (एस0एच0–12ए) के कि0मी0 15 से 16 के किनारे 0.31 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो पर प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2019 में दी गयी शर्तो के अनुरूप इस कार्यालय के पत्रांक–2097/14–1 दिनांक 11.12.2019 द्वारा धनराशि / अभिलेखों की मांग करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तो की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को लिखा गया। तत्क्रम में परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 सेतु निर्माण इकाई सहारनपुर ने अपने पत्रांक–5187/4B-R /सहारनपुर/2019–20 दिनांक 06.01.2020 द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गयी। अतः भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 29.11.2019 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है।

| क्र0सं0 | सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्त | शर्त की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा | प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।**(संलग्नक संख्या–1)** |
| 2 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के (0.31×1000) 310 वृक्षों का रोपण वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के (0.31×1000) 310 वृक्षों का रोपण वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये–2,70,530.00 (रूपये दो लाख सत्तर हजार पांच सौ तीस मात्र) ई–पॉर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है। |

| क्र0सं0 | सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्त | शर्त की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 3 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि हस्तिनापुर वन्य प्राणि अभ्यारण्य के अन्तर्गत है। अतः वृक्षारोपण मुख्य वन्य जीव प्राणि प्रतिपालक/सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा वृक्षों की प्रजाति का चुनाव वन्य प्राणी प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को समर्पित की जायेगी। | वर्तमान में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की प्रबन्ध योजना का संकलन कार्य प्रचलन में है। जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का प्रबन्धन प्रभागीय निदेशक/ उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकार, वन अनुभाग–4, की पत्र संख्या–26851/14–4–93 दिनांक 18.10.1993 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों एवं प्रभागीय निदेशकों को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया गया है। अतः अधोहस्ताक्षरी जनपद मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत क्षतिपूरक रोपण कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी है। अतः इसमें उच्च स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। **(संलग्नक संख्या–2)** |
| 4(क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या– 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 –एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 0.31 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रूपये–1,94,060.00(एक लाख चौरानवें हजार साठ मात्र) ई–पॉर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है। |
| 4(ख) | इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई– रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जायें, तदोपरान्त ही विधित स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करायी गयी क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रूपये–2,70,530.00 एवं वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रूपये–1,94,060.00 की ई–रसीद पांच प्रतियों में संलग्न है। **(संलग्नक संख्या–3)** |
| 4(ग) | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत किया गया है, कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। है। **(संलग्नक संख्या–4)** |
| 5 | विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एंव पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगें (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एंव पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगें (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखी जायेगी। **(संलग्नक संख्या–5)** |

| क्र0सं0 | सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्त | शर्त की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 6 | भू–क्षरण एवं जलभराव को रोकने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कार्यवाही की जा जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि भू–क्षरण एवं जलभराव को रोकने के लिए परियोजना व्यय पर समुचित कार्यवाही की जा जायेगी। **(संलग्नक संख्या–6)** |
| 7 | पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, प्राप्त की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विषयक परियोजना में पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। **(संलग्नक संख्या–7)** |
| 8 | प्रकरण में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति देने के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–306 /2014–एफ0 सी0(pt) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। | प्रमाणित किया जाता है कि प्रकरण में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति देने के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–306 /2014–एफ0सी0(pt) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक संख्या–8)** |
| 9 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक मक डिस्पोजल परियोजना व्यय पर किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आवश्यक मक डिस्पोजल परियोजना व्यय पर किया जायेगा। **(संलग्नक संख्या–9)** |
| 10 | प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। **(संलग्नक संख्या–10)** |
| 11 | आवागमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नये मार्ग के निर्माण नही किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि आवागमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नये मार्ग के निर्माण नही किया जायेगा। **(संलग्नक संख्या–11)** |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। **(संलग्नक संख्या–12)** |
| 13 | इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना / प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगें। | प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक संख्या–13)** |
| 14 | सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। | सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है। **(संलग्नक संख्या–14)** |

क्रमशः..........4

कैम्पा निधि में जमा धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है—

| क्र0सं0 | मद | विवरण(धनराशि रू0में) |
|---|---|---|
| 1 | CA amount as per proposal | Rs. 2,70,530.00 |
| 2 | CA amount deposited | Rs. 2,70,530.00 |
| 3 | Difference in amount | Nill |
| 4 | Reason for difference | N.A. |
| 5 | NPV amount as per proposal | Rs. 1,94,060.00 |
| 6 | NPV amount deposited | Rs. 1,94,060.00 |
| 7 | Difference in amount | Nill |
| 8 | Reason for difference in amount | N.A. |
| 9 | Any other amount deposited ( Complete details be provided) | Nill |
| 10 | Campa confirmation | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित धनराशि ई—पॉर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा करायी गयी है, इस कारण कैम्पा से Confirmation की आवश्यकता नहीं है। |

अतः उक्तानुसार वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की चार—चार प्रतियां संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रकरण में विधिवत् निर्गत कराने हेतु कार्यवाही कराने की कृपा करें।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या / दिनांकित ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2— परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0, सहारनपुर।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

मुख्यालय :–
सेतु भवन, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग,
लखनऊ – 226001
फोन : 0522–2205815, 2205807
फैक्स : 0522 – 2209798

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

(राज्य सरकार का उपक्रम)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सेतु निर्माण इकाई,
आवास सं0–6, सेतु निगम कालोनी
सिविल हॉस्पिटल के सामने
निकट घास मण्डी, बाजोरिया रोड
सहारनपुर–247001 (उ0प्र0)
E-mail :-bcu.saharanpur@gmail.com
GSTIN NO. 09AAACU3258KSZA

पत्रांक–5187/ 4BR /स0पुर/2019–20 दिनांकः 06/01/2020

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

**विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर ग्राम–कवाल में अपर गंगा कैनल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर–जानसठ रोड (एस0एच0–12ए) के किमी0–15 से 16 के किनारे 0.31 है0 सुरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

**संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक– 11सी–1112/11सी–FP/UP/Road/35985/2018 लखनऊ, दिनांक 04.12.2019**

महोदय,

विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के कम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है, जिसके कम में सैद्धान्तिक अनुमति की शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

**शर्त संख्या–1–** शर्त की अनुपालन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–2–** शर्त के अनुपालन में 310 वृक्षों के रोपण एवं आगामी 10 वर्षो के रखरखाव हेतु वांछित धनराशि 2,70,530.00 कैम्पा निधि में जमा करा दी गई है।

**शर्त संख्या–3–** कार्यवाही आपके द्वारा की जानी है।

शर्त संख्या–4(क)–शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित 0.31 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की वांछित धनराशि रू0 1,94,060.00 कैम्पा निधि में जमा करा दी गई है।

शर्त संख्या–4(ख)–शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित 0.31 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बन्धित परियोजना के सापेक्ष ऑन लाईन ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि निम्नानुसार जमा करा दी गई है। ई–रसीद एवं चालान की प्रति संलग्न है।

शर्त संख्या–4(ग)– शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–5–** शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–6–** शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–7–** शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–8–** शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–9–** शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–10–**शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–11–**शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–12–**शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त संख्या–13–**कार्यवाही आपके द्वारा की जानी है।

**शर्त संख्या–14–**शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

**संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।**

6.1.20

(जे0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0

सलंग्नक-(1)

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।**

## शर्त संख्या–01

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
14/01/2020
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20
(जे0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

सलग्नक संख्या - 2

उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-4

संख्या- 2805/14-4-93

लखनऊ:दिनांक: 18 अक्टूबर, 1993

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1972) की धारा 4 की उप धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षकों और क्षेत्रीय निदेशकों को अपर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, प्रभागीय वन अधिकारियों और प्रभागीय निदेशकों को उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सहायक वन संरक्षकों को वन्य जीव प्रतिपालक और वन रेंजरों, उप रेंजरों और वन दरोगाओं (फारेस्टर) को सहायक वन्य जीव प्रतिपालक के रूप में, अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

गोविन्द सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2805(1)/14-4-93-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें और उसकी 1000 प्रतियाँ शासन के वन अनुभाग-4 को भेज दें।

आज्ञा से,
(पीताम्बर मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या- (1)/14-4-93-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, राज्य वन अनुसंधान, उत्तर प्रदेश।
(5) संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सी॰जी॰ओ॰ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
(6) समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(पीताम्बर मिश्र)
अनु सचिव।

Photo Copy attested
14/01/2020
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

सलग्नक संख्या - (3)

## Online payment history made by User Agency under CAMPA

elp

| posal Detail | Application_No | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/ROAD/35985/2018<br>iewreport.aspx?<br>FP/UP/ROAD/35985/2018)<br><br>0 Ha. PF Land Proposed to<br>sfer, for construction of<br>ge and aproach road for<br>ge, by Bridge Corporation<br>g the Muzaffarnagr-<br>ath Roadh (SH-12A) Km.<br>16 near village Kawal at | ROAD359852018085 | 6135985085 | 29 Nov 2019 | **CA:** 270530/-, **Addl CA :** 0/-<br>**PCA:** 0/-, **CAT :** 0/-<br>**Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/-<br>**NPV:** 194060/-, **0 :** 0/-<br>**0 :** 0/-<br>**0 :** 0/-<br>**0 :** 0/-<br>**Total :** 464590/- | Paid | **Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 18 Dec 2019<br>**Bank Name** : Corporation Bank<br>**Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan)<br>**Challan Generated On** : 23 Dec 2019<br>**Transaction Date** : 24 Dec 2019 | Demand Letter<br>(../writereaddata/Fundpdf/12111412712120 6GNO0.pd<br><br>Generated Challan<br>(../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD359852018085) |

प्रतिहस्ताक्षरित
14/01/2020
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

[signature] .20
(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

Finacle IOB

Universal Banking Solution from Infosys

24 December, 2019 | User 57268 | 2981 | Menu Shortc

**Result Page**

Payment Order ID - 000211987035 verified successfully. UTR No. - IOBAR52019122400480382

OK

6.1.20

(J. S. Sayana)
/. Project Manager
BCU - Saharanpur

प्रतिहस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

सति संख्या-4-29

**AGENCY COPY**

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-12-2019

| | |
|---|---|
| Agency Name. | UTTAR PRADESH STATE BRIDGE CORRPORATION LTD CONSTR |
| Application No. | 6135985085 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UP/06/97/2019/FC |
| Location. | UTTAR PRADESH |
| Address. | UTTAR PARDESH STATE BRIDGE CORRPARATION LTED CONSTSaharanpur |
| Amount(in Rs) | 464590/- |

Amount in Words :Four Lakh Sixty-Four Thousand Five Hundred and Ninety Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTAR PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150906135985085<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.


**BANK COPY**

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-12-2019

| | |
|---|---|
| Agency Name. | UTTAR PRADESH STATE BRIDGE CORRPORATION LTD CONSTR |
| Application No. | 6135985085 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UP/06/97/2019/FC |
| Location. | UTTAR PRADESH |
| Address: | UTTAR PARDESH STATE BRIDGE CORRPARATION LTED CONST Saharanpur |
| Amount(in Rs) | 464590/- |

Amount in Words :Four Lakh Sixty-Four Thousand Five Hundred and Ninety Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTAR PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150906135985085<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.


**After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in**

Paid Vide Cheque No:- 7258
Date 24/12
P.M.
Accountant

6.1.20
(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

प्रति हस्ताक्षरित

14/01/2020
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

सलग्नक संख्या - (4)

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।**

## शर्त संख्या–4 (ग)

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो, बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा जमा की जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20

(·0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

संलग्नक संख्या - (5)

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।**

## शर्त संख्या–5

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के व्यय पर करने हेतु वचनबद्ध है। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिख दी जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित
14/01/2020
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

.01.20
(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

सलग्नक संख्या - (6)

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्ता की अनुपालन आख्या।**

## शर्त संख्या–6

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में भू–क्षरण एवं जल जमाव को रोकने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कार्यवाही करने हेतु वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20

(जे0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

सलंग्नक संख्या - 7

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।**

**शर्त संख्या–7**

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।

प्रतिहस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20
(ने0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

संलग्नक संख्या - (8)

<u>ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या **FP/UP/Road/35985/2018)** के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्ता की अनुपालन आख्या।</u>

## <u>शर्त संख्या–8</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति लेने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय नई दिल्ली के पत्र 11–306/2014–एफ0सी0(पी0टी0), दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20

(जे0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

सलंग्नक संख्या - (9)

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।**

## शर्त संख्या–9

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के प्रकरण में मक डिस्पोजल, परियाजना व्यय पर करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20

(जे0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

सलग्नक संख्या - (10)

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।**

## शर्त संख्या–10

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के स्थल में बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन न करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20

(जे0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

सलंग्नक सण - (11)

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।**

## शर्त संख्या–11

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी आवगमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल के अतिरिक्त नये मार्ग का निर्माण न करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सा... वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20
(जे0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

सलग्नक संख्या -(12)

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।**

## शर्त संख्या–12

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना हेतु वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वचनबद्ध है।

प्रति हस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

8.1.20

(…0एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

संलग्नक संख्या–

(13)

**ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road /35985/2018 के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/97/2019 /एफ0सी0 /432 दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या**

## शर्त संख्या–13

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सेतु निगम लि0 द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चैनेंज 15.730 से 15.173 एवं 15.244 से 15.344 तक) ग्राम–कवाल, तहसील–जानसठ, जिला–मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियेाजना में संरक्षित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है, अर्थात वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

35D:\FOREST-1\Surendra\Survey Branch\Genral\Harsoli ( Petrol Pump)-2019-20.doc

सलंग्नक संख्या - (14)

<u>ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या **FP/UP/Road/35985/2018)** के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या।</u>

## शर्त संख्या–14

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या–12ए (मुजफ्फरनगर–जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम – कवाल, तहसील– जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित

14/01/2020

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20

(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर